रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 2007/वैशाख 13, 1929
No. 207] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 2007/VAISAKHA 13, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सं. 22/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 321(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 93 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 18क में, स्तंभ (3) में, शब्द और अंक "50 रू." के स्थान पर शब्द और अंक "100 रू." प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) क्रम सं0 28 में, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" रखा जाएगा ;

(iii) क्रम सं. 30 में, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" रखा जाएगा ;

(iv) क्रम सं. 37 में, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "रूपये 8 प्रति हजार" रखा जायेगा;

(v) क्रम सं. 38 में, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "रूपये 19 प्रति हजार" रखा जायेगा;

[फा. सं. बी-1/2/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 93 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2007 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. सं. 132 (अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2007

No. 22/2007-Central Excise

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 3/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 2006, namely -

In the said notification, in the Table,-

(i) against S No.18A, in column (3), for the words and figures "Rs.50", the words and figures "Rs.100" shall be substituted;

(ii) against S.No.28, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(iii) against S.No.30, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(iv) against S.No.37, for the entry in column (4), the entry "Rs.8 per thousand" shall be substituted; and

(v) against S.No.38, for the entry in column (4), the entry "Rs.19 per thousand" shall be substituted.

[F. No. B-1/2/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.93(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 3/2007-Central Excise, dated the 1st March, 2007 and published vide number G.S.R.132(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सं. 23/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 322(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 1क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1क	2523 29	सभी माल, पैकेज के रूप में निकारी किए गए माल जो किसी छोटे सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित किया गया है या नहीं और जो क्रम सं0 1 के अन्तर्गत नहीं आता है और		
		(i) 190 रु. प्रति 50 कि.ग्रा. के थैले से अनधिक के फुटकर विक्रय मूल्य प्रति टन 3800 रु से अनधिक के समतुल्य विक्रय फुटकर के पैकेज के रूप में निकासी किया गया है ;	350 रु. प्रति टन	-
		(ii) 190 रु. प्रति 50 कि.ग्रा. के थैले से अधिक परंतु 250 रू0 प्रति 50 किलोग्राम से अनधिक के फुटकर विक्रय मूल्य अथवा प्रति टन 3800 रु से अधिक परंतु प्रति टन 5000 रू0 से अनधिक के समतुल्य विक्रय फुटकर के पैकेज के रूप में निकासी किया गया है ;	फुटकर विक्रय मूल्य का 12 %	- ";

(ii) क्रम सं0 87 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "सभी माल" रखा जाएगा ।

[फा. सं. बी-1/10/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2007 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1, मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. सं. 133 (अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2007

No. 23/2007-Central Excise

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 94(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) for S.No.1A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1A	2523 29	All goods, whether or not manufactured in a mini cement plant, not covered in S.No.1 and cleared in packaged form-		
		(i) of retail sale price not exceeding Rs.190 per 50 kg bag or of per tonne equivalent retail sale price not exceeding Rs.3800;	Rs. 350 per tonne	-
		(ii) of retail sale price exceeding Rs.190 per 50 kg bag but not exceeding Rs. 250 per 50 kg bag or of per tonne equivalent retail sale price exceeding Rs.3800 but not exceeding Rs.5000;	12% of retail sale price	-";

(ii) against S.No.87, for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be substituted.

[F. No. B-1/10/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.94(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 4/2007-Central Excise, dated the 1st March, 2007 and published vide number G.S.R.133(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सं. 24/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 323(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006, जो सा.का.नि.सं. 96 (अ) दिनांक 1 मार्च, 2006 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित रूप से और आगे संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में :

(क) **सारणी में-**

(i) क्रम संख्या 8ख के सामने, स्तम्भ 3 में, मद (क) में "पाली एक्रोनाइट मेम्ब्रेन्स पर आधारित प्रौद्योगिकी" शब्दों के पश्चात् "या पोली सल्फोन मेम्ब्रेन्स" शब्द अंतः स्थापित किए जाएगें ।

(ii) क्रम सं. 44 और इससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाऐंगी, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44क	8704	रेफ्रिजेरेटेड मोटर वाहन	8 %	-"

(iii) क्रम संख्या 54(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54घ	8802	सभी सामान	शून्य	23"
54ड.	8802	सभी सामान	शून्य	24
"54च		कोई भी अध्याय शीर्ष 8802 के वायुयान केभाग (रबर टायर्स और ट्यूब्स के अलावा)	शून्य	25"

2310 GI/07-2

(iv) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"75क	9607	सभी सामान	8 %	- "

(ख) अनुबंध में:-

शर्त सं. 22 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतः स्थापित की जाएंगी :- यथा

शर्त सं.	शर्तें

" 23 यदि ,-

(क) वायुयान अधिप्राप्त किया जाता है-

(i) भारतीय एरोक्लब, नई दिल्ली के द्वारा जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रुप में मान्यता प्राप्त है; या

(ii) किसी उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है; और

(ख) ऐसे किसी क्लब या प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वायुयान के अधिप्राप्त करने के लिए जिसे नागर विमानन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है; और

(ग) ऐसे वायुयान का प्रयोग केवल प्रशिक्षण देने के लिए ही किया जाता है

24. यदि,-

(i) वायुयान के अधिप्राप्ति ऐसे प्रचालक द्वारा की जाती है जो नान शेडयूल्ड (यात्री) सेवाएं और नान शेडयूल्ड (चार्टर) सेवाएं प्रदान करने के लिए वायुयान के खरीद किये जाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है; और

(ii) ऐसे वायुयान का प्रयोग नान शेडयूल्ड (यात्री) सेवाएं और नान शेडयूल्ड (चार्टर) सेवाएं प्रदान करने के लिए ही किया जाता है;

स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए

(क) " प्रचालक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, संगठन या उद्यम से है जो वायुयान के प्रचालन में संलग्न है या इसके लिए प्रस्थापना करता है :

(ख) " नान-शेड्यूल्ड" (चार्टर) वायु परिवहन प्रचालक से तात्पर्य ऐसे नान शेड्यूल्ड प्रचालक से है जो किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रकाशित टैरिफ पर राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्टेशनों तक वायुयान को चार्टर/ किराये पर देते हैं ओर इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से पंजीकृत और अनुमोदित है; और वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 133क के प्रावधान में अपेक्षित नागरिक विमानन की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

वशर्ते कि ऐसा एयर चार्टर प्रचालक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एक समर्पित कम्पनी/साझीदार फर्म हो ।

25. यदि,-

(i). भारतीय एरोक्लब द्वारा खरीदे गए विमान को सर्विसिंग, मरम्मत या देखभाल के लिए अधिप्राप्त किया जाता है; या

(ii). ऐसे वायुयान को सर्विसिंग, मरम्मत या देखभाल के लिए अधिप्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग किसी ऐसे उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान में उड्डयन में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है जो नागरिक विमानन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है; या

(iii) जिसका प्रयोग नान-शेडयूल्ड (यात्र) सेवा और नान-शेडयूल्ड (चार्टर) सेवा के लिए किया जाता है;

स्पष्टीकरण:- " भारतीय एरो क्लब " , " प्रचालक",नान शेडयूल्ड(यात्री) सेवा, "नान शेड्यूल्ड (चार्टर) सेवा" शब्दों का वहीं अर्थ होगा जो उपर्युक्त शर्त 23 और 24 में उनके लिए क्रमश दिए गए हैं ।"

[फा. सं. बी–1/10/2007–टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सां.का.नि.सं. 96 (अ) ,तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 19/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 7 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और जो सा.का.नि. सं. 178 (अ) तारीख 7 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2007

No. 24/2007-Central Excise

G.S.R. 323(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 96(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification,

(A) in the Table,-

(i) against S.No. 8B, in column (3), in item (a), after the words "Ultra-filtration technology using poly acrylonite membranes", the words "or polysulphone membranes" shall be inserted;

(ii) after S.No. 44 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44A	8704	Refrigerated motor vehicles	8%	-";

(iii) after S.No. 54C and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54D.	8802	All goods	Nil	23
54E.	8802	All goods	Nil	24
54F.	Any Chapter	Parts (other than rubber tyres or tubes) of aircraft of heading 8802	Nil	25";

(iv) after S.No. 75 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"75A	9607	All goods	8%	-".

(B) in the Annexure, after condition No. 22 and the entries relating thereto, the following conditions shall be inserted, namely:-

Condition No	Conditions
"23	If,- (a) the aircraft is procured by:- (i) the Aero Club of India, New Delhi, recognized as a National Sports Federation by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India; or (ii) a Flying Training Institute approved by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation ; and (b) such club or training institute has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to procure aircraft for use in imparting training; and (c) such aircraft is used only for imparting training.
24	If, - (i) the aircraft is procured by an operator who has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to procure aircraft for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services; and (ii) such aircraft is used only for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services.

Explanation.-for the purposes of this entry,-

(a) 'operator' means a person, organization, or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;

(b) 'non-scheduled (passenger) services' means air transport services other than scheduled (passenger) air transport services as defined in rule 3 of the Aircraft Rules 1937;

(c) 'non-scheduled (charter) services' mean services provided by a 'non-scheduled (charter) air transport operator' for charter or hire of an aircraft, to any person with published tariff, and who is registered with and approved by Directorate General of Civil Aviation for such purposes, and who conforms to the civil aviation requirement under the provision of rule 133A of the Aircraft Rules 1937:

Provided that such Air charter operator is a dedicated company or partnership firm for the above purposes.

25. If, -

(i) procured for servicing, repair or maintenance of aircraft procured by Aero Club of India; or

(ii) procured for servicing, repair or maintenance of aircraft, which are used for imparting flying training in a Flying Training Institute approved by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation or for operating non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services.

Explanation.- The expressions , "Aero Club of India", "operator", "non-scheduled (passenger) services" and "non-scheduled (charter) services" shall have the meanings respectively assigned to them in Condition No. 23 or 24 above."

[F. No. B-1/10/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.96(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 19/2007-Central Excise, dated the 7th March, 2007 and published vide number G.S.R. 178(E), dated the 7th March, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सं. 61/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 324(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 जो उसी तारीख को सा.का.नि. 118 के तहत प्रकाशित की गई थी , में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्रम सं. 187 के सामने, कालम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " शून्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;

2310 GI/07-3

(ii) क्रम सं. 347 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 347 क	8802 (8802 60 00 को छोड़कर)	सभी सामान	शून्य	--	103
347ख	8802 (8802 60 00 को छोड़कर)	सभी सामान	शून्य	--	104 " ;
347ग	कोई अध्याय	शीर्ष 8802 के वायुयान के पुर्जे (रबड़ टायरों अथवा ट्यूबों से भिन्न)	शून्य	--	105 " ;

(iii) क्रम सं. 565 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमसंख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात् : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" 566	2710 19 90	एन-पैराफिन	7.5%	-	-
567	75	सभी सामान	2%	-	-
568	8704	रेफ्रिजरेटेड मोटर वाहन	शून्य	-	- " ;

(ख) अनुबंध में, शर्त सं. 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जायेंगी, अर्थात् : -

शर्त सं.	शर्तें

" 103. यदि,-

(क) वायुयान का

(i) एयरो क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली, जो युवाकार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता प्राप्त है; अथवा

(ii) नागर विमानन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और

(ख) आयातक को प्रशिक्षण देने के लिए वायुयान के आयात के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है; और

(ग) आयातक आयात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त को इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि:-

क. उक्त वायुयान का केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आयातित वायुयान के उपयोग में उनकी विफलता की स्थिति में मांग करने पर वह उक्त वायुयान पर संदेय शुल्क की राशि के बराबर और इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट की राशि का भुगतान करेगा;

ख. इस रियायत के अंतर्गत आयातित वायुयान का नागर विमानन महा-निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान से भिन्न किसी कंपनी को बेचा/हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ;

104. (i) उक्त वायुयान का किसी संचालक द्वारा आयात किया गया है जिसे गैर अनुसूचित (यात्री) सेवाएं अथवा गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएं के संचालन के लिए वायुयान के आयात के लिए नागर विमानन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन प्रदान किया हो; और

(ii) आयातक ने आयात के समय इस बात का एक शपथ पत्र सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया हो कि:-

क. उक्त वायुयान का गैर-अनुसूचित (यात्री) सेवाएं अथवा गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएं, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जायेगा;

ख. उक्त वायुयान का विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग की स्थिति में उक्त वायुयान पर संदेय शुल्क के बराबर राशि लेकिन छूट का राशि, भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ,-

(क) " संचालक " का आशय वायुयान संकार्य में लगे अथवा देने का प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्दम से है;

(ख) " गैर अनुसूचित (यात्री) सेवाओं का आशय वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 3 में यथा परिभाषित अनुसूचित (यात्री) हवाई परिवहन सेवाओं से भिन्न हवाई परिवहन सेवाओं से है;

(ग) " गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाओं " का आशय किसी वायुयान को चार्टर अथवा किराये पर लेने के लिए किसी गैर-अनुसूचित (चार्टर) हवाई परिवहन संचालक द्वारा किसी व्यक्ति को प्रकाशित टैरिफ पर सेवाओं से है जो ऐसे प्रयोजनों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत और अनुमोदित किये गये हो तथा वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 133 के प्रावधान के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षा के समनुरुप हो।

बशर्ते कि ऐसे हवाई चार्टर संचालक को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए कोई समर्पित कंपनी/भागीदारी फर्म हो।

105. यदि,-

(i) एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयातित/अधिप्राप्त वायुयान का सर्विस करने, मरम्मत अथवा अनुरक्षण के लिए आयात किया जाता है, ; अथवा

(ii) वायुयान का सर्विस करने, मरम्मत अथवा अनुरक्षण के लिए आयात किया जाता है जिसका उपयोग उड़ान के प्रयोजनों अथवा गैर अनुसूचित (यात्री) सेवा अथवा गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाओं के संचालन के लिए किया जाता है;

(iii) आयातक ने आयात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त,को इस बात का एक शपथपत्र जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किया हो कि:-

क. आयातित सामान का केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा;

ख. उक्त माल क विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग की स्थिति में उक्त माल पर संदेय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करना होगा ।

स्पष्टीकरण:- " एयरो क्लब ऑफ इंडिया " " संचालक " और गैर-अनुसूचित (चार्टर) हवाई परिवहन संचालकों " अभिव्यक्ति का आशय उपर्युक्त क्रमशः शर्त सं. 103 अथवा 104 में संबंद्ध से होगा ।"

[फा. सं. बी-1/8/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 2002 के सा.का.नि.सं. 118(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार दिनांक 13 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 58/2007-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित की गई थी जो दिनांक 13 अप्रैल, 2007 की सा.का.नि.सं.292(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2007

No. 61/2007-CUSTOMS

G.S.R. 324(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.118 (E) of the same date, namely:-

In the said notification,-
(A) in the Table,-

(i) against S.No.187, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(ii) after S.No 347 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"347A.	8802 (except 8802 60 00)	All goods	Nil	-	103
347B.	8802 (except 8802 60 00)	All goods	Nil	-	104
347C.	Any Chapter	Parts (other than rubber tyres or tubes) of aircraft of heading 8802	Nil	-	105";

(iii) after S.No.565 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"566.	2710 19 90	N-Paraffin	7.5%	-	-
567.	75	All goods	2%	-	-
568.	8704	Refrigerated motor vehicles	Nil	-	-";

(B) in the Annexure, after condition No. 102 and the entries relating thereto, the following conditions shall be inserted, namely:-

Condition No.	Conditions

"103. If,-

(a) the aircraft is imported by:-

(i) the Aero Club of India, New Delhi, recognized as a National Sports Federation by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India; or
(ii) a Flying Training Institute approved by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation; and

(b) the importer has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to import aircraft for use in imparting training; and

(c) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:-

a. the said aircraft shall be used for the specified purpose only and he shall pay on demand, in the event of his failure to use the

imported aircraft for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said aircraft but for the exemption under this notification;

b. the aircraft imported under this concession shall not be sold/transferred to an entity other than a flying training institute approved by the Directorate General of Civil Aviation.

104. (i) the aircraft are imported by an operator who has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to import aircraft for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services; and

(ii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:-

a. the said aircraft shall be used only for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services, as the case may be; and

b. he shall pay on demand, in the event of his failure to use the imported aircraft for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said aircraft but for the exemption under this notification.

Explanation.-for the purposes of this entry,-

(a) 'operator' means a person, organization, or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;

(b) 'non-scheduled (passenger) services' means air transport services other than Scheduled (passenger) air transport services as defined in rule 3 of the Aircraft Rules 1937.

(c) 'non-scheduled (charter) services' mean services provided by a 'non-scheduled (charter) air transport operator', for charter or hire of an aircraft to any person, with published tariff, and who is registered with and approved by Directorate General of Civil Aviation for such purposes, and who conforms to the civil aviation requirement under the provision of rule 133A of the Aircraft Rules 1937:

Provided that such Air charter operator is a dedicated company or partnership firm for the above purposes.

105. If,-

(i) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft imported or procured by Aero Club of India; or

(ii) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft, which are used for flying training purposes or for operating non-scheduled (passenger) service or non-scheduled (charter) services;

(iii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:-

a. the imported goods shall be used for the specified purpose only; and

b. he shall pay on demand, in the event of his failure to use the imported goods for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said goods but for the exemption under this notification.

Explanation.- The expressions "Aero Club of India", "operator", "non-scheduled (passenger) services" and "non-scheduled (charter) services" shall have the meanings respectively assigned to them in Condition No. 103 or 104 above."

[F. No. B-1/8/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No.58/2007-Customs, dated the 13th April, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.292 (E), dated the 13th April, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2007

सं. 62/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 325(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष नं. 11 में उल्लिखित लौह अयस्क के चूरे (62 प्रतिशत या उससे अनाधिक एफई) के निर्यात पर उक्त द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से छूट देती है जो कि 50 रूपये प्रति टन से अधिक हो ।

[फा. सं. बी-1/9/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2007

No. 62/2007-CUSTOMS

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts iron ore fines of Fe content 62% and below falling under heading No. 11 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Second Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of Rs.50 per tonne.

[F. No. B-1/9/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.